श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2020-21/1458 दिनांक 04/12/2020

05 DEC 2020

सूचना

विषय :- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, मंत्रालय को संशोधित एकजाई आदेश कमांक एफ5-6/2017/41 (1) दिनांक 18/05/2018 के अंतर्गत "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" वर्ष 2020-21 हेतु उसके प्रावधनो एवं प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी जारी की गयी है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

पात्रता की शर्ते :-	1) विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो। 2) आय सीमा नवीन विद्यार्थियो हेतु राशि रु 6 लाख व नवीनकरण के विद्यार्थियो हेतु रु 7.50 लाख वार्षिक परिवारिक आय। 3) **सत्र 2020-21 में बी.ई./बी.फार्मा में प्रवेशित विद्यार्थियो हेतु** :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित 12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा। 4) जेईई मेन्स परीक्षा में 1.50 लाख के अंतर्गत रेंक प्राप्त कर बी.ई.(बी.टेक) में प्रवेश लिया हो।
आवेदन प्रकिया एंव दस्तावेज	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियो को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति पार्टल www.scholarshiportal.mp.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर उसके पश्चात ऑन-लाईन आवेदन कर व समस्त दस्तावेज अपलोड कर उसका प्रिन्ट आउट निकालकर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर लेखा विभाग (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) में जमा करे। 1) मूल निवासी प्रमाण पत्र 2) जेइइ मेन्स का स्कोर कार्ड 3) आय प्रमाण पत्र (शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो अथवा वर्ष 2019-20 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत हे तो दोनो का अलग-अलग आय प्रमाण पत्र इस आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रामण पत्र। 4) प्रथम वर्ष हेतु 10 वी 12 वी व अन्य विद्यार्थी हेतु 10 वी 12 वी व विगत दोनो सेमेस्टर की अंकसुची कि प्रतिलिपि 5) प्रदेश पत्र एवं चालान कि प्रतिलिपि 6) अलॉटमेन्ट (लेटर) पत्र 7) बैंक पास बुक की प्रतिलिपी 8) आधार कार्ड व समर्ग आई.डी की प्रतिलिपि 9) "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजन के ओवदन कि चेक लिस्ट 10) फार्म न 06 (बैंक खाता आधार कार्ड व एमपीसीआई से लिंक हेतु) 11) अगर विद्यार्थी संस्थान के होस्टल में रहता है तो छात्रावास का प्रमाण पत्र 12) आवेदन पर आवेदक व उसके पालक के हस्ताक्षर।

3) इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रो को प्रवेशित संस्था में नियमानुसार विषय तथा पाठयकम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4) वह विद्यार्थी (नवीन/नवीनीकरण) जो उपरोक्त प्रावधानो को पूर्ण करते है व मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना (छात्रवृत्ति) का लाभ लेना चाहते है को सूचित किया जाता है कि वह समस्त दस्तावेजो सहित अपना आवेदन दिनांक 24/12/2020 तक लेखा (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) विभाग में जमा करें।

5) वह विद्यार्थी जो आवेदन ऑन-लाईन भरने के पश्चात आवेदन संस्थान में जमा नहि करता है तो उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नही होगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

05/12/2020

निदेशक

Director,
Shri G. S. Institute of Technology & Science, Indore

प्रतिलिपिः-

1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल नोटिस बोर्ड

2) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।